न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 133 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. उतमाराम पुत्र मेवाराम
2. रामचन्द्र पुत्र नीम्बाराम
3. मुस्मात चागी पत्नी नीम्बाराम
4. भेराराम पुत्र हरकाराम
5. नथाराम पुत्र तडाराम
6. मुस्मात सुखा बेवा हरकाराम
7. वीराराम पुत्र मोबताराम
8. लुणाराम पुत्र मोबताराम

जाति मेगवाल निवासी गंगाला निहालाणियो का टीबा तहसील रामसर जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.डुंगराराम के कायम मुकाम 1 / 1खमीशा पुत्र डुंगराराम
2.बुधाराम पुत्र महेशाराम
3.केकू पुत्री महेशाराम
4.प्रतापाराम पुत्र सरदाराम
5.केवाराम पुत्र ढालुराम
6.मंशाराम पुत्र ढालुराम
7.केसराराम पुत्र पनाराम
8.भारमल पुत्र पनाराम
9.सगता पुत्र रामचन्द्र
10.मोडाराम पुत्र रामचन्द्र
11.गणेशा पुत्र जलाल
12.पुजाराम पुत्र जलाल
13.सरूपा पुत्र राणाराम
14.पोकर पुत्र राणा जाति मेगवाल निवासी गंगाला निहालाणियो का टीबा तहसील रामसर जिला बाड़मेर
15.तहसीलदार रामसर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 37 / 2013 बअनवान डूंगराराम बनाम उतमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09. 2013 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

उपस्थिति

1. वकील श्री महेन्द्रकुमार रामावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 24.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अविभाजित ग्राम गंगाला मौजूदा नवसृजित ग्राम निहालाणियों का टोबा में स्थित खेत खसरा संख्या 331 रकबा 157. 01 बीघा जो वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 0 से 21 के वालिदान की सहखातेदारी तथा कब्जा काश्त का है वक्त भू प्रबंध निम्न खातेदारान की सह खातेदारी में दर्ज हुआ पना पुत्र लखु, दला पुत्र सादु 2 / 3 हिस्सा, रामु व जलाल पिसरान राणा 1 / 3 हिस्सा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट / प्रतिवादीगण के नोटिस पेशी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित होने के लिये जारी किये गये व अपीलांटगण के नोटिस पेशी दिनांक 05.09.2013 पर यह सवार द्वारा रिपोर्ट की गई कि नोटिस लेने से इंकार किये जाने पर नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किये गये यह सम्पूर्ण कार्यवाही रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा सवार से मिलकर की गई थी। अपीलांट के पास कभी भी कोई नोटिस लेकर नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया साथ ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर पर्याप्त तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को क्षेत्राधिकार में मानकर दर्ज किया तथा बिना सुनवाई का मौका दिये खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण की प्रक्रिया को अपनाते हुए निस्तारण नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर पर्याप्त तामील हो चुकी है लेकिन अपीलांटगण जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांटगण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एवं विधि की मंशा के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 188 व 40 तथा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/2013 बअनवान डूंगराराम बनाम उतमाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

24/12/19

(नाथूसिंह जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner